राजस्व अपील संख्या : 73/2023
उनवान : लक्ष्मी व अन्य बनाम पवनी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 73/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2023/15

अपीलाण्ट्स :–

1. लक्ष्मी पुत्री समाराम
2. कन्या पुत्री समाराम
3. कस्तु देवी पुत्री समाराम
4. स्व. मगी बाई पुत्री समाराम के कायम मुकामः–
   4.1. वागाराम पुत्र मगी बाई
   4.2 भीकाराम पुत्र मगी बाई
   4.3 भागाराम पुत्र मगी बाई
   4.4 नेनाराम पुत्र मगी बाई
5. स्व. चम्पा देवी पुत्री मगी बाई
   5.1 सेसाराम पुत्र चम्पा बाई
   5.2 मीठालाल पुत्र चम्पा बाई
   जतिगण माली निवासीगण खुडाला तहसील बाली जिला पाली राज.

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–

1. पवनी पुत्री भेराराम
2. नारंगी पुत्री भेराराम
3. पुष्पा पुत्री भेराराम
4. स्व. सोहनलाल पुत्र भेराराम के कायम मुकाम वारिसानः–
   4.1 जयपाल पुत्र सोहनलाल
   4.2 विक्रय पुत्र सोहनलाल
   4.3 ममता पत्नि सोहनलाल.
   4.4 पुजा पुत्री सोहनलाल
5. स्व. कमला पुत्र भेराराम के कायम मुकाम वारिसानः–
   5.1 प्रवीण पुत्र कमला
   जातिगण माली निवासीगण खुडाला तहसील बाली जिला पाली राज.
6. तहसीलदार बाली राज.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 1557/22 जो श्री भेराराम पुत्र समाराम माली के दौरान सेटलमेंट खातेदारी दी को निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता हनुमानसिंह चौहान।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 01, 02, व 03 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश गहलोत।
3. रेस्पोडेण्ट संख्या 4.1 लगाय 4.4 एवं 5.1 की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रमसिंह सोलंकी।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

–:निर्णय:–

दिनांकः 06.10.2025

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर मौजा खुडाला के नामान्तरकरण संख्या 1557 दिनांक 16.09.2022 के विरुद्ध पेश की गई। अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया गया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 73 / 2023
उनवान : लक्ष्मी व अन्य बनाम पवनी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं अपीलाण्ट स्वर्गीय श्री समाराम पुत्र मेगाजी जाति माली निवासी खुडाला तहसील बाली की वारिसान् एवं उत्तराधिकारी है। सभी अपीलाण्ट श्री समाराम की पुत्रियां है एवं एक भाई भेराराम है, श्री भेराराम का स्वर्गवास दिनांक 16.09.2021 एवं उनकी पत्नी श्रीमती फुलीबाई का देहान्त दिनांक 24.08.2021 को हो गया है। एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 08 उनके उत्तराधिकारीगण है। पक्षकारान् जाति से माली सम्प्रदाय के एवं हिन्दु है जिससे हिन्दु विधि से गवर्न होते है हिन्दु लॉ के प्रावधान उन पर लागु होते है जिससे हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अनुसार अपीलाण्ट स्व. श्री समाराम पुत्र मेगाजी के वारिसान् होने से उनके वैध उत्तराधिकारी है उनके एक भाई भेराराम था जिसका देहान्त हो चुका है जिनके रेस्पोडेण्ट 1 से 8 वारिसान है। श्री भेराराम के 3 पुत्रिया व दो पुत्र सोहनलाल व जसाराम हुए। जसाराम अविवाहित ही स्वर्गीय हो गये। दूसरे पुत्र सोहनलाल के वारिसान में रेस्पोडेण्ट संख्या 4 से 8 है। श्री समाराम पुत्र मेगाजी की कृषि भूमि गांव खुडाला पटवार हल्का खुडाला की सरहद में उनके हिस्से की भूमि निम्नलिखित खसरान् की स्थित है जो क्रमशः 1194 रकबा 0.2600 हैक्टर, 1208 रकबा 0.4800 हैक्टर, 1261 रकबा 0.6800 हैक्टर, 1280 रकबा 0.1600 हैक्टर, 1286 रकबा 0.2400 हैक्टर, 1290 रकबा 0.0600 हैक्टर, 1301 रकबा 0.1000 हैक्टर, 1302 रकबा 0.1100 हैक्टर, किस्म चाही प्रथम इसके खाता संख्या 209, नये व 205 पुराने की कृषि भूमि स्व. समाराम पुत्र मेगाराम तत्पश्चात् भेराराम पुत्र समाराम के नाम 1/8 हिस्सा अनुरूप निम्नानुसार आती है:– खसरा संख्या व रकबा क्रमशः 1303 रकबा 0.0400 हैक्टर,ख 1304 रकबा 0.0700 हैक्टर, गै.सडा. 1305 रकबा 0.0200 हैक्टर गै.मु. बेरा व 1306 रकबा 0.0600 हैक्टर गै.मु. खड्डा वार्षिक लगान कुल रुपये 1.6400, इस भूमि के नये खाता संख्या 570 पुराने खाता संख्या 37 की आई हुई स्थित है। जिसका विवरण निम्न है 1227/1 रकबा 0.1200 हैक्टर लगान रुपये 4.9200 इसके अतिरिक्त स्व. समाराम की कृषि भूमि राजस्व नये खाता संख्या 315 व पुराने खाता संख्या 314 आई हुई स्थित है। जिसमें स्व. समाराम जो का 1/4 हिस्से के खातेदारी अधिकार प्राप्त थे जो निम्न है:– खसरा नम्बर 1293 रकबा 0.0300 हैक्टर, 1294 रकबा 0.0500 हैक्टर, 1295 रकबा 0.0500 हैक्टर, 1296 रकबा 0.0600 हैक्टर गै.मु. मकान लगान 5.300 इसके अतिरिक्त स्व. समाराम को राजस्व खाता संख्या 316 नये व 313 पुराने में 1/4 हिस्से के खातेदारी अधिकार प्राप्त थे। जिसका विवरण निम्नानुसार है:– खसरा नम्बर 1200 रकबा 0.0400 हैक्टर, चाही प्रथम लगान रुपये 1.6400 उपरोक्त विवरण की कृषि भूमि में जो हिस्सा स्व. समाराम को प्राप्त था उनके देहान्त के पश्चात अपीलाण्ट जो उनकी जायन्दा पुत्रिया है का भी श्री भेराराम के साथ 1/6, 1/6 हिस्से के अनुपात में उनके उत्तराधिकार से हक प्राप्त है।

यह है कि अपीलाण्ट स्व. समाराम पुत्र मेगाजी माली निवासी खुडाला की वारिसान है एवं सभी को समान अधिकार प्राप्त है। जिससे यह अपील अपीलाण्ट संख्या 02 की ओर से सभी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

राजस्व अपील संख्या : 73/2023
उनवान : लक्ष्मी व अन्य बनाम पवनी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

अपीलाण्ट की सहमति से पेश की जा रही है। अपीलाण्ट संख्या 02 का अन्य अपीलाण्ट के विरुद्ध कोई हित निहित नहीं है। यह अपील सभी अपीलाण्ट के हित व अधिकारों की रक्षार्थ ही पेश की जा रही है।

यह है कि अपीलाण्ट के पिताजी श्री समाराम के स्वर्गीय होने पर राजस्व कर्मचारीगण ने नामान्तरकरण ही नहीं खोला व भूमि अविभाजित होने से अपीलाण्ट कोपार्शिनर होने से उनका नाम भी भूमि का नामान्तरकरण खोलकर दर्ज करना था परन्तु ऐसा नहीं करने से अपीलाण्ट के भाई स्व. भेराराम के अकेले का नाम दौराने भू–प्रबन्ध के गलत इन्द्राज कर दिया व भूमि का बंटवाडा भी करना बताया। ऐसा करने का भू–प्रबन्ध अधिकारी जी को कानूनन अधिकार ही प्राप्त नहीं है। न ऐसा कोई आदेश, निर्णय किसी न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। जिससे भूप्रबन्ध वालो द्वारा दी गई खातेदारी एवं स्व. भेराराम के नाम के इन्द्राज गलत है स्व. श्री भेराराम के साथ अपीलाण्ट का नाम भी बहिस्सा बराबर के दर्ज करना न्याय के हित में है। ऐसा नहीं करने से अपीलाण्ट न्याय से वंचित रहे है व उन्हें सख्त प्रेज्युडिस हुई है।

यह है कि अपीलाण्ट स्व. श्री समाराम पुत्र मेगाजी की वैध उत्तराधिकारीणी है जिससे उपरोक्त वर्णित उनके हिस्से की भूमि में अपीलाण्ट का 1/6 के अनुपात में हक व हिस्सा है। रेस्पोडिण्ट संख्या 1 से 3 का 1/30 व 4 से 8 का 1/120 वा हिस्सा ही होता है। राजस्व रिकॉर्ड में सरासर गलत इन्द्राज केवल भेराराम के नाम होने से उनके स्वर्गीय होने पर उनका फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1557/22 गलत खोला गया है जो भी निरस्त किया जावे। अपीलाण्ट के नाम भी स्व. समाराम पुत्र मेगाजी के वारिसान् उत्तराधिकारीगण की हैसियत से दर्ज किया जावे। तथा स्व. भेराराम के फौत होने पर खोले गये उपरोक्त नामान्तरकरण के अलावा भू–प्रबन्ध द्वारा किये गये गलत इन्द्राज, खातेदारी पर्चा खतौनि संख्या 77 व नम्बर 123 को संशोधित किया जाकर अपीलाण्ट का नाम दर्ज किया जावे तथा रेस्पोडेण्टान् का नाम भी दर्ज किया जावे।

यह है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 09 द्वारा श्री समाराम पुत्र मेगाजी के स्वर्गीय होने पर नामान्तरकरण ही नहीं खोला जाने से अपीलाण्ट न्याय से वंचित रहे है व भू प्रबन्ध विभाग वाले ने सीधी खातेदारी दर्ज कर हिस्सा कसी भी की है जो कि अवैध है इससे अपीलाण्ट पाबंन्द नहीं है इसे संशोधित कर दुरुस्त करना न्याय के हित में है। यह कार्य रेस्पोडेण्ट संख्या 09 का है व गलत इन्द्राज को दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अवैध इन्द्राज को दुरुस्त करने का उत्तरदायित्व व कर्तव्य है जो नहीं करने से अपीलाण्ट को यह अपील पेश करने की नौबत आई है।

यह भी कि स्व. समाराम पुत्र मेगाजी के हक व हिस्से की खातेदारी भूमि जो कि उपरोक्त पदो में वर्णित की गई है को भूप्रबन्ध विभाग वालो ने बिना किसी अधिकारिता के गलत इन्द्राज किये ह व नामान्तरकरण रेस्पोडेण्ट संख्या 06 द्वारा नहीं खोला गया है फिर भी भूमि केवल एक वारिस श्री भेराराम पुत्र समाराम के नाम इन्द्राज हो गया है जिसे निरस्त कर संशोधित कर सभी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

राजस्व अपील संख्या : 73/2023
उनवान : लक्ष्मी व अन्य बनाम पवनी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

वारिसान् अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट के नाम उनके हिस्से मुझव नामान्तरकरण खोले जाने का आदेश फरमाया जावे ताकि राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की जावे।

अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपील के पद संख्या 01 में वर्णित भूमि का नामान्तरकरण संख्या 1557/22 को निरसत फरमाया जाकर, पर्चा खतौनी संख्या 123 व 77 को संशोधित कर भूमि का नामान्तरकरण नये सिरे से अपीलाण्ट व स्व. भेराराम के वारिसान् के नाम खोला जाने का आदेश फरमावें।

प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालय से तलब किया गया जो प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र धारा 05 म्याद अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट के पिता स्व. समाराम पुत्र मेघाजी माली निवासी खुडाला का स्वर्गवास होने पर रेस्पोडेण्ट संख्या 09 को फौतगी नामान्तरकरण एक माह मे खोलना आवश्यक था परन्तु नहीं खोला गया व भू प्रवन्ध वालो ने खाते अलग कर दिये बिना नामान्तरकरण खोले अपीलाण्ट के भाई भेराराम के नाम बिना किसी जांच के खातेदारी दर्ज कर दी व भेराराम के स्वर्गीय होने पर रेस्पोडेण्ट संख्या 09 ने नामान्तरकरण संख्या 1557/22 खोला उसमें भी अपीलाण्ट की सुनवाई नहीं की गई। इस कारण अपीलाण्ट ने राजस्व रिकॉर्ड की नकले मांगी जो उन्हें दिनांक 23.10.2023 को प्राप्त हुई है। रेकर्ड के अवलोकन से राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी प्रथम बार अपीलाण्ट को दिनांक 23.10.2023 को हुई जिसमें यह अपील अन्दर अवधि एक माह पेश की जा रही है। इसमें समाराम के स्वर्गीय होने से एवं भेराराम के नामान्तरकरण फौतगी संख्या 1557/22 खोलने की जानकारी हुई व नकल प्राप्ति 23.10.2023 तक का समय अवधि गणना के बाद पाने के अपीलाण्ट अधिकारी है। जो बाद दिया जावे। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट अन्दर अवधि शुमार फरमावे। एवं समाराम फोत होने से एवं भेराराम के फौतगी नामान्तरकरण 1557/22 की जानकारी 23.10.2023 तकका समय बाद दिया जावें।

रेस्पोडेण्ट संख्या एक लगाय तीन की ओर से प्राथमिक आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि:–

1. यह है कि अपीलाण्ट द्वारा जिस नामान्तरकरण के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की है वह श्री भेराराम के खातेदारी हक से ताल्लुक रखती है तथा सभी अपीलाण्ट उक्त स्व. भेराराम के प्रथम वर्ग के वारिसान नही है तथा स्व. भेराराम के प्रथम वर्ग के वारिसान रेस्पोडेण्ट संख्या एक लगाय पांच है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट स्व. भेराराम के उत्तराधिकार में हक अधिकार पाने के अधिकारी नही है।
2. यह है कि स्व. भेराराम के देहान्त उपरान्त रेस्पोडेण्ट संख्या चार सोहनलाल के उत्तराधिकारियों द्वारा कपट पूर्वक तथ्य छूपाते हुये एवं राजस्व अधिकारियों से मिली भगत कर स्वयं के नाम नामान्तरकरण भरा दिया तथा इसके संबंध रेस्पोडेण्ट संख्या

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 73/2023
उनवान : लक्ष्मी व अन्य बनाम पवनी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

एक लगाय तीन द्वारा एक प्रथम सूची रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई है। तथा उसमें पुलिस कार्यवाही से बचने के कारण से अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट संख्या चार के साथ मिली भगत कर उक्त अपील प्रस्तुत की है।

3. यह है कि स्व. भेराराम के प्रथम वर्ग के उत्तराधिकारी के मौजूद होने से अपीलाण्ट विवादित भूमि उत्तराधिकार में किसी प्रकार का हक अधिकार पाने के अधिकारी नही है ऐसी स्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया अपील खारिज किये जाने योग्य है। जिससे रेस्पोडेण्ट संख्या एक लगाय तीन द्वारा यह प्रति अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत है।

(1) यह है कि स्व. भेराराम के उत्तराधिकारियों का विवरण सलंग्न अनुसार है।

(2) यह है कि उक्त वारिसान के अतिरिक्त स्व. भेराराम का अन्य कोई प्रथम वर्ग में उत्तराधिकारी नही है। इसके उपरान्त भी रेस्पोडेण्ट संख्या चार सोहनलाल के उत्तराधिकारियों द्वारा राजस्व अधिकारियों से मिली भगत कर एवं कपट पूर्वक दस्तावेज तैयार करवाकर राजस्व अभिलेख में स्वयं के नामान्तरकरण करवा दिया तथा योजनाबद्ध तरीके से कृषि भूमि पर ऋण प्राप्त कर बंधक बना दिया।

(3)यह है कि स्व. भेराराम की फौतेदगी में स्वीकृत विवादित नामान्तरकरण जो रेस्पोडेण्ट संख्या चार के हक स्वीकृत किया गया है प्रथम दृष्टया अवैध एवं विधि विरुद्ध है उक्त रेस्पोडेण्ट संख्या चार रेस्पोडेण्ट संख्या एक लगाय तीन व पांच के साथ संयुक्त रुप से उत्तराधिकारी है। ऐसी स्थिति में विवादित कृषि भूमि में रेस्पोडेण्ट संख्या एक लगाय तीन स्व. सोहनलाल के उत्तराधिकारियोंके समा नही हक अधिकार पाने के अधिकारी है।

(4) यह है कि उपरोक्त परिस्थितियों में स्पष्ट है कि राजस्व अधिकारी के द्वारा जानबुझकर रेस्पोडेण्ट संख्या चार के साथ साठ गांठ कर कपट पूर्वक नामान्तरकरण किया गया है जो नामान्तरकरण निरस्त किया जाना विधि व न्याय के हित में है।

अतः रेस्पोडेण्ट संख्या एक लगाय तीन द्वारा प्रति अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्व अधिकारियों के द्वारा स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण संख्या 1557/2022 को निरस्त किया जावे। एवं नये सिरे से स्व. भेराराम के उत्तराधिकारियों के पक्ष में नामान्तरकरण करने के आदेश प्रदान करावें।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट संख्या 01 लगाय तीन की ओर से प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति का जवाब पेश कर निवेदन किया कि आपत्ति क पद संख्या 01 गलत होने से अस्वीकार है। भूमि पुश्तैनी होकर समा पुत्र मेगाजी व समाराम व उनकी पत्नी फौत होने से उनके वारिसान में अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 5 व रेस्पोडेण्ट भेराराम के नाम नामान्तरकरण रेस्पोडेण्ट संख्या 6 द्वारा नहीं खोला गया व व भेराराम का भी स्वर्गवास हो गया तब केवल भेराराम के

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 73/2023
उनवान : लक्ष्मी व अन्य बनाम पवनी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उत्तराधिकारीगण के नाम नामान्तरकरण खोला गया जो अवैध है जिसके नम्बर 1557/22 है जिससे यह नामान्तरकरण गलत स्वीकृत हुआ है। जब समा पुत्र मेगा के वारिसान का नाम पहले नामान्तरकरण खोला जाना आवश्यक व न्याय संगत है। भूमि पुश्तैनी होने से अपीलाण्ट का हक व अधिकार भी इस भूमि में उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार प्राप्त है। केवल भेराराम के वारिसान को ही अधिकार नहीं है। अपील भेराराम के उत्तराधिकार के आधार पर प्रस्तुत ही नहीं की गई है। बल्कि समाराम पुत्र मेगा के उत्तराधिकार बाबत पेश की गई है। पक्षकारान् की वंश वृक्षावली सलंग्न है:– जिससे प्रत्येक पक्षकार का उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार अपने हक व हिस्से की भूमि पाने का अधिकार है रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 केवल अकेले की इस भूमि के अधिकारी नहीं है।

2. यह है कि आपत्ति के पद संख्या 02 का जवाब है कि भेरारामके स्वर्गीय होने पर भेराराम के भूमि में अधिकार 1/6 के हिस्से में उसके तमाम वारिसान रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 5 को बराबर हक व हिस्से का ही अधिकार है इससे ज्यादा हिस्सा उन्हें पाने का अधिकार नहीं है। जिससे नामान्तरकरण संख्या 1557/22 को निरस्त करने व उपरोक्तानुसार तथा अपीलाण्ट्न का हक व हिस्सा सम्मिलित करते हुए नामान्तरकरण नये सिरे से खोला जाना न्याय के हित में है।

3.यह है कि आपत्ति का पद संख्या 3 गलत होने से अस्वीकार है भूमि मेगा व समा पुत्र मेगा के पश्चात समा के वारिसान में अपीलाण्टान् संख्या 1से 5 व भेरा पुत्र समा के नामा नामान्तरकरण खोला जाना था भेरा का स्वर्गवास होने से उसके वारिसान का नाम भेरा की जगह नामान्तरकरण खोला जाना न्याय के हित में है। भूमि भेरा पुत्र समा की स्व अर्जित भूमि नहीं है। बल्कि पुश्तैनी बाप दादो से खातेदारी चली आने से पिता समाराम की मृत्यु के पश्चात् उसके लड़के व लड़कियों के नाम नामान्तरकरण खोला गया न्याय के हित में आवश्यक है केवल भेराराम के वारिसान के नाम ही नामान्तरकरण नहीं खोला जा सकता है वंश वृक्षावली गलत बताई जो केवल भेराराम से ही संबंध रखती है। उसके पिता समा व दादा मेगा के वारिसान का नाम भी इसमें जानबूझकर नहीं लिखा गया है। जिससे यह वंश वृक्षावली अपीलाण्ट द्वारा आपत्ति के पद संख्या 01 के जवाब में दर्शायी गई है जो सही है।

4.यह है कि आपत्ति के पद संख्या 4 जिस 2 लिखा गया है में वर्णित तमाम तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। भूमि मेगा से समा के नाम व समा के फौत होने पर उनके वारिसान अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 5 के नाम नामान्तरकरण खोला जाना था जो नहीं खोला जाकर केवल भेराराम के स्वर्गीय होने पर उसके वारिसान् के नाम गलत खोला गया है। जो निरस्त किया जाकर उपरोक्तानुसार पहले समाराम पुत्र मेगाजी माली के वारिसान के नाम अपीलाण्ट भेराराम व उसके पश्चात भेराराम के स्वर्गीय होने पर उसके स्थान पर उसके वारिसान के नाम नामान्तरकरण अलग से खोला जावे। केवल रेस्पोडेण्ट के नाम नामान्तरकरण नहीं खोला जा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 73/2023
उनवान : लक्ष्मी व अन्य बनाम पवनी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

सकता है कानूनन समा पुत्र मेगा से भूमि उत्तराधिकार से प्राप्त हुई है जो वंशानुगत ही नामान्तरकरण खोला जावें।

(5)यह है कि आपत्ति का पद संख्या 3 गलत लिखा है जो 5 है का जवाब है कि नामान्तरकरण भेरा का फौतगी गलत होना स्वीकार है परन्तु समा पुत्र मेगा का फौतगी नामान्तरकरण पहले खोला न्याय के हित में है उसके पश्चात भेरा पुत्र समा का फौतगी नामान्तरकरण नहीं खोला जा सकता है

(6)यह है कि आपत्ति का पद संख्या 5 जवाब है कि नामान्तरकरण समा पुत्र मेगा का फौत भी पहले खोला जावे जिसमें अपीलाण्ट का भेराराम के नाम खोला जावे बाद में भेरा के स्वर्गीय होने से उसके वारिसान के नाम नामान्तरकरण अलग से खोला जावे। जो विधि व न्याय के हित में है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि आपत्ति रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 03 निरस्त की जावे एवं अपील में वर्णितानुसार नामान्तरकरण नये सिरे से खोला जाने का आदेश फरमावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 04 व 05 की ओर से निम्नलिखित जवाब पेश कर निवेदन है:–

1. यह है कि अपीलाण्ट संख्या 1 से 5 तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 05 स्वर्गीय श्री समा पुत्र मेगा व भेरा पुत्र समा के वारिसान है एवं वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी होने से अपीलाण्ट का उनके पिता स्व. समाराम पुत्र मेगाजी के वारिसान होने से उनके स्थान पर नामान्तरकरण खोला जाना न्याय के हित में है। तथा श्री भेराराम का फौतगी नामान्तरकरण कानूनानुसार खोला जाने में रेस्पोडेण्ट संख्या 04 व 05 को कोई आपत्ति नहीं है।
2. यह है कि अपीलाण्ट को पुश्तैनी भूमि में उत्तराधिकार अनुसार कानूनन हक व अधिकार प्राप्त है।

अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि विवादित भूमि का नामान्तरकरण अपील में वर्णितानुसार खोले जाने में रेस्पोडेण्ट संख्या 4 व 5 को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से बहस सुनने का निश्चय किया गया। काबिल अधिवक्ता अपीलार्थीपक्ष ने वक्त बहस निवेदन किया कि अपील मीमो में वर्णित कृषि भूमियाँ अपीलार्थीगण के पिता श्री समाराम पुत्र मगा की खातेदारी भूमियाँ थी जिनका श्री समाराम की मृत्यु उपरान्त फौतगी नामान्तरकरण दर्ज नहीं कर भूप्रबन्ध कार्यवाही के दौरान भू प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा अधिकारिता से इतर जाकर अवैधानिक तरीके से उक्त भूमियां श्री समाराम के पुत्र श्री भेराराम अकेले के नाम इन्द्राज कर दी। जैर अपील आलोच्य भूमियाँ श्री भेराराम की स्वअर्जित सम्पति न होकर पिता श्री समाराम पुत्र मेगाजी के समय से पुश्तैनी आराजी रही है एवं इस आधार पर श्री समाराम की पुत्रियाँ एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिसान् होने के आधार पर अपीलार्थिया का नाम इन्द्राज होना आवश्यक था। यह भी, कि उक्त श्री भेराराम की मृत्यु पर दर्ज आलोच्य नामान्तरकरण 1557/22 को स्वीकृत

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 73/2023
उनवान : लक्ष्मी व अन्य बनाम पवनी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

करने से पूर्व तहसीलदार बाली ने भू प्रबन्ध अधिकारियों की उक्त त्रुटि को दुरस्तकर अपीलार्थीगण का नाम इन्द्राज नहीं किया एवं केवल स्व. भेराराम के वारिसों का नाम राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया गया, जिस कारण उक्त नामान्तरकरण 1557/22 अवैध एवं शून्यकरणीय है, जिसे निरस्त करते हुए एवं भूप्रबन्ध अधिकारियों द्वारा दर्ज अवैधानिक इन्द्राज को भी निरस्त फरमावें। काबिल अधिवक्ता अपीलाण्ट ने बहस के दौरान यह भी निवेदन किया कि ज़ैर अपील आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 1557 दिनांक 29.09.2022 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 23.10.2023 को विवादित आराजी की प्रमाणित नकले प्राप्त होने पर हो पायी, अतः देरी का उपशमन करते हुए अपील स्वीकार फरमावे। यह भी जाहिर किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या एक लगाय तीन द्वारा इसी विवादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकारों की उदघोषणा हेतु एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली में शेष रेस्पोडेण्ट्स के विरुद्ध पूर्व से ही प्रस्तुत किया गया है जो प्रकरण संख्या 419/22 के रुप में दर्ज होकर आदिनांक लम्बित है। नियमित वाद के विचाराधीन रहते हुए प्रति अपील के माध्यम से खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते, अतः रेस्पोडेण्ट संख्या एक लगाय तीन द्वारा प्रस्तुत काउण्टर अपील भी निरस्त फरमावें।

काबिल अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 290 RBJ (5) 1998 प्रस्तुत किया गया।

काबिल अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 01 लगाय 03 की ओर से लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि:–

1. अपीलाण्ट द्वारा ग्राम खुड़ाला के राजस्व नामान्तरकरण संख्या 1557/22 भेराराम पुत्र समाराम की मृत्यु के बाद दर्ज किये जाने पर उक्त नामान्तरकरण के गलत दर्ज किये जाने की आपत्ति लेते हुये नामान्तरकरण को निरस्त करने के लिए उक्त अपील प्रस्तुत की है और उसी परिप्रेक्ष्य में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगाय 3 ने भी इसी नामान्तरकरण के गलत खोले जाने पर अपील जवाब के साथ काउण्टर अपील नामान्तरकरण को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की है, जो सही हैं यानि अपीलाण्ट द्वारा एवं रेस्पोडेण्ट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1557/22 गलत दर्ज किये जाने पर उसको निरस्त करने हेतु श्रीमान् न्यायालय को निवेदन किया है, जिससे उक्त नामान्तरकरण के निरस्त किये जाने के समर्थन में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट द्वारा उक्त पत्रावली में किये गये कथन से नामान्तरकरण कानूनन निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि अपीलाण्ट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1557/22 के निरस्त किये जाने की आड में अपने आप को सेटलमेण्ट के दौरान राजस्व भू–अभिलेखो में हुई त्रुटियों की मनगढ़न्त कपोल कल्पित बिना दस्तावेज सबुतों के उक्त अपीलीय न्यायालय से धारा 136 एल. आर.एक्ट के अन्तर्गत अपने आपको उक्त नामान्तरकरण में दर्ज राजस्व कृषि भूमियां के स्वामित्व हक अधिकार की घोषणा चाही है जो कि उक्त न्यायालय द्वारा दिया जाना

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

कानूनन कतई संभव नहीं है। न ही अपीलाण्ट उक्त न्यायालय के जरिये उक्त अपील में किये गये कथनों की रिलिफ प्राप्त करने हेतु किसी प्रकार से सक्षम नहीं होने से अपीलाण्ट की अपील खारिज योग्य हैं व रेस्पोडेण्ट संख्या 01 लगाय 03 की काउण्टर अपील नामान्तरकरण संख्या 1557/22 मृतक भेराराम पुत्र समाराम की मृत्यु के बाद उनकी तमाम चल व अचल सम्पति पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में वर्णित हिन्दु उत्तराधिकार की प्रथम अनुसूची में वर्णित विधिक उत्तराधिकार के अन्तर्गत आने से काबिले स्वीकृत योग्य है, व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगाय 3 मृतक भेराराम के विधिक उत्तराधिकारी हिन्दु उत्तराधिकार में वर्णित प्रथम अनुसूची के सदस्य होने के समर्थन में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगाय 3 के काउण्टर अपील के जवाब में प्रथम सूची का उत्तराधिकारी बताया है, जिससे भी यह स्पष्ट हैं कि अपीलाण्ट द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण गलत दर्ज किये जाने एवं उसको निरस्त किये जाने की जो अपील की है वो रेस्पोडेण्ट संख्या 01 लगाय 03 के पूर्ण रुप से समर्थन में होने से उक्त नामान्तारकरण को निरस्त कर स्व. भेराराम पुत्र समाराम की मृत्यु के बाद राजस्व भू–अभिलेखों में हिन्दु उत्तराधिकार अनिधिनियम में वर्णित प्रथम अनुसूची उत्तराधिकारियों का अंकन किये जाने का आदेश पारित किया जाना कानूनन सही है।

3. यह है कि अपीलाण्ट द्वारा उक्त नामान्तरकरण अपील के जरिये खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं सेटलमेण्ट के दौरान हुई त्रुटियों को चैलेन्ज कर मनगढ़न्त कपोल कल्पित अभिवचनों के आधार पर उक्त अपीलीय न्यायालय में किसी प्रकार से कानूनन सक्षम नहीं है, क्योंकि उक्त नामान्तरकरण संख्या 1557/22 भेराराम पुत्र समारामजी के पिता की मृत्यु के बाद का नहीं हैं, और न ही उक्त नामान्तरकरण वक्त सेटलमेण्ट के दौरान का हैं,वल्कि उक्त नामान्तरकरण संख्या 1557/22 रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगाय 3 के पिता भेराराम पुत्र समाराम की मृत्यु के बाद वर्ष 2022 का हैं जिससे अपीलाण्ट उक्त अपील के जरिये श्रीमान न्यायालय से रिलिफ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है उक्त रिलिफ अपीलाण्ट उपखण्ड अधिकारी राजस्व न्यायालय से प्राप्त कर सकता हैं जिससे अपीलाण्ट की उक्त अपील काविले खारिज योग्य है।

4. यह कि अपीलाण्ट नामान्तरकरण संख्या 1557/22 मृतक भेराराम पुत्र समारामजी की मृत्यु के बाद उनके विधिक उत्तराधिकारियों के नाम हिन्दु उत्तराधिकार के अन्तर्गत प्रथम अनुसूची में वर्णित सदस्यों (रिश्तो) के नाम दर्ज किया जाना काननून आवश्यक था लेकिन उक्त नामान्तरकरण रेस्पोडेण्ट संख्या 4/1 ने झूठे शपथ पत्रो के आधार पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगाय 3 के बाला–वाला नामान्तारकरण संख्या 1557/22 दर्ज करवा दिया जिसका पता रेस्पोडेण्ट संख्या 03 को लगने पर रेस्पोडेण्ट संख्या 01 लगाय 03 ने रेस्पोडेण्ट संख्या 4/1, 4/2, 4/3 के विरुद्ध फौजदारी प्रकरण प्रथम सूचना नम्बर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 73/2023
उनवान : लक्ष्मी व अन्य बनाम पवनी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

0171 दिनांक 06.10.2023 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471 भा.द.स. भी दर्ज करवाया जिसमें रेस्पोडेण्ट संख्या 4/1 को पुलिस थाना फालना द्वारा अपनी न्यायिक हिरासत में लिया गया जो अभियुक्त रेस्पोडेण्ट संख्या 4/1को पुलिस थाना फालना द्वारा अपनी न्यायिक हिरासत में लिया गया जो अभियुक्त रेस्पोडेण्ट संख्या 4/1 माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर से जमानत पर हैं। जो प्रकरण जैर अनुसंधान चल रहा हैं। उक्त फौजदारी प्रकरण को रफादफा करने के लिये रेस्पोडेण्ट संख्या 04 व 05 ने अपीलाण्ट से दुरभिसन्धि कर उक्त अपील प्रस्तुत की हैं, जो कानून काबिल खारिज है।

अतः अपीलाण्ट की अपील में वर्णित अभिवचनों के अनुसार उक्त न्यायालय से कानून रिलिफ प्राप्त करने में असक्षम होने से खारिज फरमावें। तथा अपील नामान्तरकरण संख्या 1557/22 गलत दर्ज नामान्तरकरण मृतक भेराराम के हिन्दु उत्तराधिकार के प्रथम सूची में अंकित रिश्तों के नाम पूर्ण अंकन न होने से निरस्त करते हुय। मृतक भेराराम के हिन्दु उत्तराधिकार के प्रथम सूची में वर्णित रिश्ते के अनुसार रेस्पोडेण्ट संख्या 01 लगाय 03 पुत्रिया व रेस्पोडेण्ट संख्या 4 व 5 के नाम नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का आदेश पारित करते हुये रेस्पोडेण्ट संख्या 01 लगाय 03 की काउण्टर अपील स्वीकृत फरमावें।

काबिल अधिवक्ता बज़तरफ रेस्पोडेण्ट संख्या 4/1 लगाय 4/4 एवं 5/1 ने प्रचलित राजस्व विधियों के अनुरुप न्यायोचित निर्णय लेने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा आलोच्य नामान्तरकरण की मूल परत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

अपीलार्थीगण द्वारा ज़ैर अपील आलोच्य नामान्तरकरण को इस आधार पर चुनौति दी है कि अपील मीमो में वर्णित विवादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अपीलार्थिया के पिता स्वर्गीय समाराम पुत्र मेगाजी की मृत्यु पर बिना फौतगी नामान्तरकरण दर्ज किए ही सेटलमेण्ट अधिकारियों द्वारा बिना किसी अधिकारिता के सम्पूर्ण भूमि स्व. समाराम के पुत्र श्री भेराराम अकेले के नाम दर्ज कर दी, जबकि अपीलार्थीगण भी स्व. समाराम की प्रथम श्रेणी की वारिस होने से उक्त आराजी में वैधाकि हक हकूक धारण करती है। तत्पश्चात उक्त श्री भेराराम की मृत्यु होने पर तहसीलदार बाली द्वारा सेटलमेण्ट विभाग की उक्त त्रुटि पर कोई कार्यवाही नही करते हुए पुनः अपीलार्थीगण के वैधानिक हक हकूक को नजरअन्दाज कर जरिए आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 1557/22 के श्री भेराराम के वारिसादारों का नाम राजस्व अभिलेख में इन्द्राज कर दिया। अतः सेटलमेण्ट विभाग द्वारा कारित अवैधानिक कार्यवाही तथा आलोच्य नामान्तरकरण को निरस्त फरमाया जावे।

सर्वप्रथम तो हस्तगत अपील के सहवर्ती प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों का अप्रार्थीगण द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। अतः मियाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम में अंकित सशपथ कथनों का प्रमाणित मानते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

विलम्ब की अवधि का उपशमन किया जाता है तथा हस्तगत अपील को मियादशुमार घोषित करते हुए गुणावगुण आधार पर निर्णीत करने का निश्चय किया जाता है।

द्वितीयतः, अपीलाण्ट को सेटलमेण्ट विभाग द्वारा स्वर्गीय समाराम की मृत्यु पर अकेले उनके पुत्र श्री भेराराम को प्रश्नगत आराजी में खातेदारी प्रदान करने को इस न्यायालय में चुनौति देते हुये उक्त श्री भेराराम की मृत्यु पर दर्ज फौतगी नामान्तरकरण को निरस्त करने तथा अपीलार्थीगण का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने का अनुतोष चाहा है।

चूंकि सेटलमेण्ट विभाग द्वारा कारित किसी त्रुटि या कार्यवाही को दुरस्त करने हेतु इस न्यायालय को अधिकारिता प्राप्त नहीं है, अतःअपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील क्षेत्राधिकार बाधित होने से अस्वीकार की जाती है। इस सम्बन्ध में अपीलाण्ट सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतन्त्र है।

तृतीयतः, रेस्पोडेण्ट संख्या एक लगाय तीन द्वारा प्राथमिक आपत्ति के ज़रिए काउण्टर अपील प्रस्तुत कर स्वयं को स्वर्गीय भेराराम की जायन्दा पुत्रियां बताते हुए उनकी मृत्यु पर दर्ज जैर अपील फौतगी नामान्तरकरण संख्या 1557 को इस आधार पर निरस्त करने की मांग की है कि रेस्पोडेण्ट संख्या एक लगाय तीन हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 सपठित प्रथम अनुसूची अनुसार स्व. भेराराम की प्रथम श्रेणी की वारिस होने के बावजूद तहसीलदार बाली द्वारा ज़रिए आलोच्य नामान्तरकरण उनका नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं किया गया।

इस सम्बन्ध में अपीलार्थीपक्ष द्वारा बहस के दौरान मय फहरिश्त दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि रेस्पोडेण्ट संख्या एक लगाय तीन द्वारा इसी विवादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली में खातेदारी अधिकारो की घोषणा का एक वाद विरुद्ध शेष रेस्पोडेण्ट पूर्व में ही प्रस्तुत किया हुआ है, जो वाद प्रकरण संख्या 419/2022 के रुप में आदिनांक लम्बित है तथा अपीलार्थीगण ने भी उक्त वाद प्रकरण में पक्षकार के रुप में संयोजित होने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सि.प्र.स. अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर रखा है, जो कि आदिनांक विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में न्यायालय हाजा कायह विनम्र अभिमत है कि नियमित वाद के विचाराधीन रहते हुए काउण्टर अपील के माध्यम से इस न्यायालय से राजस्व अभिलेख में खातेदार के रुप में इन्द्राज की मांग संधारणीय नहीं है। यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि रेस्पोडेण्ट द्वारा अपीलाण्ट के इस कथन का खण्डन नहीं किया गया है कि वे स्व. समाराम की जायन्दा पुत्रियां अर्थात प्रथम श्रेणी की वारिस है तथा स्व. समाराम की मृत्यु के उपरान्त उनका नाम दर्ज नहीं करते हुए सेटलमेंण्ट विभाग द्वारा स्व. समाराम के पुत्र स्व. भेराराम अकेले का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया। अर्थात् यह स्वीकार्य स्थिति है कि सेटलमेण्ट कार्यवाही के दौरान भू प्रबन्ध कार्मिकों द्वारा अधिकारिता से परे जाकर पुत्रियों को हक से महरुम रखते हुए स्वर्गीय समाराम के पुत्र श्री भेराराम का नाम विवादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार इन्द्राज किया गया। किन्तु सेटलमेण्ट विभाग की उक्त त्रुटि को दुरस्त करने

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 73/2023

उनवान : लक्ष्मी व अन्य बनाम पवनी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

हेतु इस न्यायालय को सक्षम अधिकारिता प्राप्त नही है एवं ऐसी स्थिति में यदि रेस्पोडेण्ट संख्या एक लगाय तीन द्वारा प्रस्तुत काउण्टर अपील को स्वीकार कर स्व. भेराराम की मृत्यु पर दर्ज आलोच्य फौतगी नामान्तरकरण संख्या 1557 को निरस्त करते हुए रेस्पोडेण्ट संख्या एक लगाय तीन का नाम भी राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करने के आदेश पारित किया जाता है, तो ऐसा आदेश न्यायिक दृष्टि से अधूरा आदेश होगा,अपितु ऐसा करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग भी होगा। इस सम्बन्ध में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्टगण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली में लम्बित वाद में चाराजोही कर राहत प्राप्त कर सकते है।

अतः हस्तगत अपील एवं रेस्पोडेण्ट संख्या एक लगाय तीन द्वारा प्रस्तुत काउण्टर अपील क्रमशः क्षेत्राधिकार तथा अधीनस्थ न्यायालय में नियमित वाद विचाराधीन होने के आधार पर खारिज की जाती हैं।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली